न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 27/18 तारीख रजू:– 05.06.2018

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

केशू पुत्र सुखचन्द मीना निवासी जोधपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

प्रार्थी

बनाम

1. हरभजन पुत्र मीठया
2. रत्तीराम पुत्र मीठया
3. शिवचरण पुत्र रामभरोसी
4. शिवदयाल पुत्र रामभरोसी
5. गुलबाई बेवा किशोरी
6. लक्ष्मण पुत्र किशोरी
7. सोबूराम पुत्र किशोरी
8. जगदीश पुत्र किशोरी
9. रामस्वरूप पुत्र मिश्रया
10. गिल्याराम पुत्र मिश्रया
11. तहन्या पुत्र मिश्रया
12. विमली पुत्री मिश्रया पत्नि माधो मीना निवासी करोडी तहसील सिकराय जिला दौसा।
13. धोटकी पत्नि मिश्रया मीना निवासी जोधपुरा तहसील टोडाभीम जिला दौसा।
14. लैण्ड होल्ड तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली।
15. प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया मेहन्दीपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली।
16. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :– 1. देवेन्द्र कुमार एडवोकेट (प्रार्थी)
2. श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (अप्रार्थी गण 1 से 11 व 13)

निर्णय दिनांकः– 20.01.2020

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम जोधपुरा स्थित आराजी ख0न0 44/0.20, 45/0.23, 46/0.80, 50/575/0.17, 51/0.01, 52/0.07, 53/0.18, 54/0.12, 59/0.12, 60/0.04, 67/0.08, 68/0.02, 75/0.19, 76/0.31, 77/0.35, 78/0.31, 87/0.31, 136/0.30, 137/0.25, 140/0.17, 165/0.36, 166/0.04, 206/0.29, 211/0.10, 212/0.09, 213/0.06, 215/0.25, 216/0.11, 218/0.14, 225/0.03, 226/0.23, 294/0.35, 295/587/0.14, 326/568/0.05, 333/583/0.05, 353/0.24, 452/0.06, 453/0.06, 455/0.07, 477/0.25, 478/0.25, 534/0.32, 548/0.08, 549/0.08, कुल किता 47 कुल रकवा 8.12 है0 मे सायल का 1/4 हिस्सा , गैरसायल न0 1 व 2 का 1/16 हिस्सा, गैरसायल न0 3 व 4 का 1/2 हिंस्सा, गैरसायल 5 ता 8 का 1/12 हिस्सा गैरसायल 9 ता 12 के

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

पिता व गैरसायल 13 के पति फौंत हो चुके है तथा गैरसायल न0 9 ता 13 मिश्रया के जायज
कायम मुकामी वारिसान है जो मिश्रया के हिस्से पर काबिज है।

सायल व गैरसायलान 1 ता 13 ने उक्त आराजीयात का मौके पर बहामी बटवारा कर
रखा है तथा मुताबिक बाहमी बटवारा आराजीयात को काश्त कर लगान अदा करते चले आ रहे है
लेकिन उक्त आराजी का अभी तक विधिवत बटवारा नही हुआ है।

बॉका दिनांक 28.5.18 का है कि सायल अपनी बाहमी बटवारे की आराजी ख0न0 333
रकवा 0.08 है0 की सार संभाल कर रहा था तो गैरसायल न0 2 मौके पर आया तथा सायल से
कहा कि इस भूमि पर क्या देखने आया है मै इस साल इस भूमि को काश्त करूगा तथा तुझको इस
भूमि मे काश्त नही करने दूंगा। तब से सायल ने का कि मे इस आराजी को बुजुर्गो के समय से ही
काश्त करता आ रहा हूँ तथा अपन ने मुताबिक बाहमी बटवारा काश्त करते आ रहे है, तुम मुझे क्यो
बेदखल करना चाह रहे हो तथा आप तहसील मे चलकर अपनी आराजी का बटवारा कराकर अपने
नाम राजस्व रिकार्ड मे नाम अलग–अलग करवा लेते है परन्तु वह नही माना ओर गाली गलौच
करने लगा। इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये
अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला दावा पाबन्द किया जावे कि गैरसायल न0 2 आराजीयात मे से बाहमी
बटवारे के अनुसार कब्जे की हिस्से की आराजी ख0न0 333 रकवा 0.8 के उपयोग उपभोग मे
सायल को कोई बाधा मजाहमत मदाखलत नही करे तथा सायल को शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग
करने देवे तथा सायल के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा नही करे। व रिकार्ड व मौके की
यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गेरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया
गया। गैरसायल न0 12, 14, 15 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय
कार्यवाही कीगई गैरसायल न0 1 ता 11 व 13 ने जरिये वकालतन उपस्थित होकर जबाब पेश किया
कि प्रार्थना पत्र सायल ने गलत रूप से पेश किया है प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी स्वीकार नही है।
वर्णित आराजीयात मे सायल के नाम 1/4 हिस्से की खातेदारी गलत व अवैध रूप से दर्ज है। तथा
खातेदारी का इन्द्राज गलत हुआ है। सायल का इस भूमि मे कोई हिस्सा व कब्जा नही है। प्रार्थना
पत्र मे वर्णित आराजीयात पर गैरसायल न0 1 ता 13 का कब्जा है व खातेदार काश्तकार है। सायल
को कोई किसी प्रकार की क्षति नही है जब भूमि पर सायल का कोई कब्जा ही नही है तो उसे
बेदखल करने वाली बात गलत व झूठी है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तो गैरसायलान को
अपूर्तनीय क्षति होगी तथा भूमि से बेदखल हो जायेगे। सायल का सुविधा का संतुलन पक्ष मे नही है
इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई प्रार्थी वकील ने बहस प्रारम्भ करते हुये प्रार्थना पत्र
मे वर्णित तथ्यो का दोहरान किया। वर्णित आराजीयात मे सायल हिस्सा 1/4 का खातेदार
काश्तकार है बाहमी बटवारे मे आराजी ख0न0 333 रकवा 0.08 है0 प्राप्त हुई है जिस पर सायल का
कब्जा है। गैरसायल न0 2 रत्तीराम जबरदस्ती सायल को इस आराजी से बेदखल कर कब्जा करना
चाहता है। बेदखल किये जाने की स्थिति मे सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी। इसलिये प्रार्थना पत्र
अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायल न0 2 रत्तीराम को मूल दावा के निस्तारण तक
अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। गैरसायलान के वकील ने बहस मे कथन किया कि
सायल के नाम हिस्सा 1/4 की खातेदारी गलत दर्ज हुई है। विवादित आराजीयात पर सायल का
कब्जा काश्त नही है। इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का
अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम जोधपुरा सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 87 मे
वर्णित आराजीयात ख0न0 44/0.20, 45/0.23, 46/0.80, 50/575/0.17, 51/0.01, 52/0.07,

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

53/0.18, 54/0.12, 59/0.12, 60/0.04, 67/0.08, 68/0.02, 75/0.19, 76/0.31, 77/0.35, 78/0.31, 87/0.31, 136/0.30, 137/0.25, 140/0.17, 165/0.36, 166/0.04, 206/0.29, 211/0.10, 212/0.09, 213/0.06, 215/0.25, 216/0.11, 218/0.14, 225/0.03, 226/0.23, 294/0.35, 295/587/0.14, 326/568/0.05, 333/583/0.05, 353/0.24, 452/0.06, 453/0.06, 455/0.07, 477/0.25, 478/0.25, 534/0.32, 548/0.08, 549/0.08, कुल किता 47 कुल रकवा 8.12 है0 मे सायल का 1/4 हिस्सा , गैरसायल न0 1 व 2 का 1/16 हिस्सा, गैरसायल न0 3 व 4 का 1/2 हिस्सा, गैरसायल 5 ता 8 का 1/12 हिस्सा, गैरसायल 9 ता 13 का 1/12 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। दावा तकास्मा आराजीयात से संबधित है। मूल दावा के निस्तारण तक गैरसायलान को रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायलान को मूल दावे का निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम जोधपुरा की आराजी ख0न0 44/0.20, 45/0.23, 46/0.80, 50/575/0.17, 51/0.01, 52/0.07, 53/0.18, 54/0.12, 59/0.12, 60/0.04, 67/0.08, 68/0.02, 75/0.19, 76/0.31, 77/0.35, 78/0.31, 87/0.31, 136/0.30, 137/0.25, 140/0.17, 165/0.36, 166/0.04, 206/0.29, 211/0.10, 212/0.09, 213/0.06, 215/0.25, 216/0.11, 218/0.14, 225/0.03, 226/0.23, 294/0.35, 295/587/0.14, 326/568/0.05, 333/583/0.05, 353/0.24, 452/0.06, 453/0.06, 455/0.07, 477/0.25, 478/0.25, 534/0.32, 548/0.08, 549/0.08, कुल किता 47 कुल रकवा 8.12 है0 मे रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैशल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

20/1/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.01.29 15:22:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: